न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 790/2019

रजनीतसिंह पुत्र गुरमीतसिंह कोम जट सिख साकिन हाथियांव तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 प्रीतपालकौर पुत्री जगजीतसिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर

3 गुरमीतसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री चिमनलाल दूआचिमनलाल दूआ अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री त्रिलोकचन्द चायल अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 व 3)

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय **दिनांक :–** 31/10/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 1 एक ही खान दान के है । चक 23 पीटीपी मे खाता संख्या 37/31 मे 6.325 हैक्टेयर खाता संख्या 90/76 मे 2.669 हैक्टैयर यानि दोनो खातो मे कुल 2.710 हैक्टैयर हिस्सा नहरी रकबा दर्ज कागजात पटवार माल है । जो विरासतन प्राप्त है जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विरासतन रकबा को लेकर एक घरू बंटवारा हुआ था और मुताबिक बंटवारा मे वादी को प्रीतपाल कौर पुत्री जगजीतसिंह के नाम चक 23 पीटीपी मे खाता संख्या 37/31 6.325 हैक्टेयर खाता संख्या 90/76 मे 2.669 हैक्टैयर कुल 2.710 हैक्टैय र हिस्सा मे आया था। वादी उपरोक्तानुसार अपने अपने रकबा पर तकरीबन 5 सालो से काबिज चले आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड मे ख्क 23 पीटीपी का उक्त रकबा प्रतिवादी के नाम से दर्ज होने से वादीगण को काफी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है वादी को बैक लोन लेने तथा अन्य सरकारी सुविधाएं लेने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि आप मेरे कब्जा काश्त का रकबा मेरे नाम करवान के लिऐ तहसीलदार महोदय के पास अपनी सहमति के ब्यान दे दो ताकि उक्त रकबा हमारे नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सके । परन्तु प्रतिवादी आज कल आज कल करता रहा और आज से 2 रोज पूर्व रकबा वादीगण के नाम करवाने से साफ इंकार हो गया । बस यही बिनाय दावा है । जो वादीको प्रतिवादिया संख्या 1 के विरूद्व हासिल हुआ है । वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादी मय हलफनामा के दो प्रतियो मे पेश कर निवेदन है कि वादी संख्या चक 23 पीटीपी मे खाता संख्या 37/31 6.325 हैक्टेयर खाता संख्या 90/76 मे 2.669 हैक्टैयर मे से कुल 2.710 हैक्टैयर हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात गुरमीत सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो स्वीकार किया जाकर प्रार्थी गुरमीत सिह को बतौर प्रतिवादी संख्या 3 पक्षकार बनाया गया, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर ने जरिये वकील इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ एव वाद वादी में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की।

बहस सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनो में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया, वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादी ने सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है जो कि प्रतिवादीगण ने इकबाल कथनों से वादी की कब्जा काश्त एव पारिवारिक बंटवारा को स्वीकार किया है एव वादी वादाधीन आराजी पर मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज काश्त है एव किसी भी पक्षकार द्वारा वादी के अभिकथनों एव कब्जा काश्त के सम्बध में कोई ऐतराज नही किया है इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, इकबाल कथनों एव बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 23 पी टी पी के खाता संख्या 37/31 में दर्ज कुल आराजी 6.325 है. एव खाता संख्या 90/76 में कुल खाता 2.669 है. नहरी दोनों खातों की कुल आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.710 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (सजस्व)
सादुलशहर

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 790/2019

रजनीतसिंह पुत्र गुरमीतसिंह कोम जट सिख साकिन हाथियांव तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 प्रीतपालकौर पुत्री जगजीतसिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर

3 गुरमीतसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री त्रिलोकचन्द चायल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 23 पी टी पी के खाता संख्या 37/31 में दर्ज कुल आराजी 6.325 है. एव खाता संख्या 90/76 में कुल खाता 2.669 है. नहरी दोनों खातों की कुल आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.710 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31/10/19 को जारी किया गया।

31/10/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.13 10:39:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: